प्रति,

श्रीमान् सचिव महोदय,
छ0ग0शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग,
मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर(छ0ग0)

विषयः- विशेष न्यायालय घरघोड़ा, जिला रायगढ़(छ0ग0) हेतु श्रीमती अर्चना मिश्रा अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक (Pocso) नियुक्ति स्थगित किये जाने बाबत्।

संदर्भः- आपके आदेश क्र. 2797/1953/21-ब/छ.ग./2025 नवा रायपुर दिनॉंक 02.07.2025 के आधार पर श्रीमती अर्चना मिश्रा अधिवक्ता को विशेष न्यायालय घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ0ग0) के विशेष लोक अभियोजक (Pocso) नियुक्ति तत्काल प्रभाव से स्थगित किये जाने के संदर्भ में।

महाशय,

मैं प्रमोद सिंह पिता स्व. मधुसूदन लाल सिंह, उम्र 52 वर्ष, पेशा वकालत, जाति राजपुत, निवासी अम्लीडीह, थाना व तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ0ग0) विषयांकित संदर्भ में आपत्ति प्रस्तुत करता हूँ किः-

01. विशेष न्यायालय घरघोड़ा, जिला रायगढ़(छ0ग0) हेतु विशेष लोक अभियोजक (Pocso) नियुक्ति के संबंध में तहसील अधिवक्ता संघ घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ0ग0) से योग्य अधिवक्ताओं की सूची उचित माध्यम से मांग की गई तद्संबंध में तहसील अधिवक्ता संघ घरघोड़ा द्वारा अधिवक्ताओं का पैनल/सूची बनाकर आपकी ओर उचित माध्यम से प्रेषित किया गया है, जिसमें मैं भी उम्मीद्वार हूँ।

02. तहसील अधिवक्ता संघ घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ0ग0) के व्हाट्सअॅप के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि, संदर्भित व्यक्ति श्रीमती अर्चना मिश्रा अधिवक्ता को आपके आदेश क्र. 2797/1953/21-ब/छ.ग./2025 नवा रायपुर दिनॉंक 02.07.2025 के आधार पर विशेष न्यायालय घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ0ग0) के विशेष लोक अभियोजक (Pocso) नियुक्ति किया गया है।

03. उक्त नियुक्ति आदेश के पृ.क.2798/1953/21-ब/छ.ग./2025 नवा रायपुर दिनॉंक 02.07.2025 के आधार पर प्रतिलिपि
   01. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ0ग0)
   02. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ (छ0ग0),
   03 माननीय विधि मंत्री रायपुर(छ0ग0),
   04. निज सचिव, प्रमुख सचिव विधि की ओर अवलोकनार्थ,

अध्यक्ष / सचिव
तहसील अधिवक्ता संघ घरघोड़ा
जिला – रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमशः..02

Scanned with OKEN Scanner

05. सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर रायपुर (छ०ग०),

06. संचालक लोक अभियोजन संचनालय इंद्रावती भवन, नवा रायपुर (छ०ग०)

07. श्रीमती अर्चना मिश्रा, अधिवक्ता हनुमान चौंक वार्ड नं. 11 घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ०ग०)

08. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इंद्रावती भवन के पास नवा रायपुर (छ०ग०)

09. वेबसाईट एडमिनीस्ट्रेटर विधि एवं कार्य विधायी विभाग की ओर विभागीय साईट में अपलोड किये जाने के संबंध में।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया गया है।

उक्त कंडिका क्र.7 श्रीमती अर्चना मिश्रा अधिवक्ता को निम्न लिखित आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करने हेतु आदेश की गई हैः-

अ. विधि विभाग नियमावली के नियम 15 एवं 16 के अनुसार किसी भी सक्षम अदालत के द्वारा वित्तीय रूप से दिवालीया घोषित नहीं किया गया है और उनके खिलाफ कोई भी सिविल डिक्री लंबित नहीं या उनके खिलाफ कोई भी मामला लंबित नहीं है।

ब. किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के द्वारा या राज्य विधिज्ञ परिषद, विधिज्ञ भारतीय परिषद् जहां उनका पंजीयन हो से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

स. उनके विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामला कोई भी सक्षम अदालत में नहीं है और न ही किसी भी अदालत द्वारा उनहे दोष सिद्ध ठहराया गया है।

द. विशेष लोक अभियोजक(Pocso) के कार्यवाही के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगें तथा ऋण ग्रस्तता से भी बाधित नहीं होंगें ऐसा घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।

उक्त उप-कंडिकाओं कि, कंडिका अ का उल्लघन श्रीमती अर्चना मिश्रा द्वारा की गई है

यथा 01. न्यायालय श्रीमान् जिला न्यायाधीश घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ०ग०)
के समक्ष नियमित सिविल अपील प्रकरण क्र. 05/2022 पक्षकार बोधीराम बंशे विरूद्ध सुनैना नेगी एवं अन्य में श्रीमती अर्चना मिश्रा, अधिवक्ता उत्तरवादी पक्षकार है, उक्त प्रकरण की पेशी दिनॉंक 11.07. 2025 को नियत है।

02. न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर रायगढ़ (छ०ग०) के राजस्व प्रकरण क्र.201810041000004/10/अ- 21/2018

क्रमशः..03

Scanned with OKEN Scanner

-19 ग्राम घरघोड़ा, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ0ग0)

पक्षकार बोधीराम बंशे एवं अन्य विरूद्ध रूपसिंह एवं अन्य

पारित आदेश दिनॉंक 19.06.2023

उक्त प्रकरण में शासकीय भू-खण्ड को श्रीमती अर्चना मिश्रा द्वारा बगैर जिलाध्यक्ष महोदय रायगढ़ की अनुमति से क्रय किया गया जिसे उक्त पारित आदेश के तहत् राजसात किया गया है।

04. श्रीमती अर्चना मिश्रा तहसील अधिवक्ता संघ जिला रायगढ़ छ.ग. के माध्यम से उक्त पद हेतु आवेदन नहीं की है और न ही उनका आवेदन तहसील अधिवक्ता संघ घरघोड़ा द्वारा विशेष लोक अभियोजक (Pocso) हेतु विहित समय सीमा में प्रेषित किया गया है।

इस प्रकार छ0ग0 राज्य विधिज्ञ परिषद बिलासपुर (छ0ग0) से संबंद्ध अधिवक्ता संघ घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ0ग0) के आदेश निर्देश का खुला उल्लघन करते हुये राजनैतिक प्रभाववश अनुचित ढंग से आवेदन कर विशेष लोक अभियोजक (Pocso) का पद प्राप्त की है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि, श्रीमती अर्चना मिश्रा अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक (Pocso) विशेष न्यायालय घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ0ग0) की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाकर अन्य उम्मीद्वारों से निष्पक्ष नियुक्ति किये जाने की कृपा हो।

स्थानः-घरघोड़ा

दिनॉंकः-04.07.2025

आपत्तिकर्ता

(प्रमोद सिंह)

अधिवक्ता

घरघोड़ा।

प्रतिलिपिः-

01. श्रीमान् अध्यक्ष/सचिव महोदय,
तहसील अधिवक्ता संघ घरघोड़ा,
जिला रायगढ़ (छ0ग0)
उचित कार्यवाही हेतु सादर पेश है।

Scanned with OKEN Scanner

तहसील अधिवक्ता संघ

घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

पंजीयन क्र. 13बी2009

अध्यक्ष
कैलाश कुमार गुप्ता
मो.न.– 7987312531

ADVOCATE

सचिव
फणीन्द्र कुमार पंडा
मो.न.– 9893778261

उपाध्यक्ष (महिला)
सुश्री नागपुरी मिश्रा
मो.न.– 9893258449

उपाध्यक्ष
मुकेश साव
मो.–7898680333

कोषाध्यक्ष
रयराम कर्ष
मो.–9131356246

ग्रंथपाल
सुरेन्द्र दीवान
मो.–7987783506

सह सचिव
सत्यजीत शर्मा
मो.–9907966649

कार्यकारिणी सदस्य गण
प्रेमलाल चौहान
मो.–7999763762

महेन्द्र हलवाई
मो.–7389201412

श्रीमती नमिता साहु
मो.–9827826723

अनिल बेहरा
मो.–9098683749

श्रीमती ममता कुजूर
मो.–9827826723

क्र. 17/25 0/C दिनांक 13-05-2025

प्रति,

मान० प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
जिला रायगढ़ (छ०ग०)

विषयः– विशेष लोक अभियोजक (pocso) घरघोड़ा नवीन नियुक्ति हेतु।

संदर्भः– कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ ज्ञापन क्र.2037/दो–17–2/2025 रायगढ़, दिनाँक 07.05.2025

महोदय,

उपयुक्त संदर्भित विषयांतर्गत निवेदन है कि, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 3325/न्या.लि./2025 रायगढ़, दिनाँक 01.05.2025 के आधार पर आपके द्वारा प्रेषित ज्ञापन के अनुपालन में अधिवक्ता संघ घरघोड़ा के निम्नलिखित अधिवक्ताओं द्वारा उक्त पद पर नियुक्त किये जाने हेतु अपना–अपना आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु मूल रूप में आपकी ओर सादर प्रेषित किया जा रहा है।

अधि. का नाम	नामांकन क्र.	अधि. संघ घरघोड़ा में पंजी. दिनाँक
01.कमल किशोर चौधरी	306/1999	27.02.2002
02.तपन कुमार डनसेना	828/2006	19.10.2006
03.श्रीमती रेखा रानी बेहेरा	532/2011	04.06.2012
04.विद्याधर दर्शन	102/1996	22.08.2012
05.प्रमोद सिंह ठाकुर	181/2004	16.06.2023

अध्यक्ष/सचिव
तहसील अधिवक्ता संघ घरघोड़ा

सत्यप्रतिलिपि
14.07.2025

सचिव
तहसील अधिवक्ता संघ घरघोड़ा
जिला – रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रति,

श्रीमान् सचिव महोदय,
छ0ग0शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग,
मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर(छ0ग0)

द्वाराः– उचित माध्यम।

विषयः– न्यायालय श्रीमान् विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं एफ0 टी0एस0सी घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ0ग0) हेतु विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नियुक्ति में राज्य विधिक परिषद् के आदेश–निर्देश का अवहेलना कर तहसील अधिवक्ता संघ घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ0ग0) के पत्र क्र. 17/2025 दिनाँक 13.05.2025 में प्रेषित अधिवक्ताओं के विरूद्ध समय बाधित आवेदन के आधार पर संघ के आदेश निर्देश के विपरीत अन्य अधिवक्ता का अवैधानिक ढंग से नियुक्ति किये जाने विषयक।

–::प्रस्तुत दस्तावेज सूची::–

01. तहसील अधिवक्ता संघ घरघोड़ा, जिला रायगढ़ छ.ग. द्वारा अपने पत्र क्र. 17/2025 दिनाँक 13.05.2025 जिसमें विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो घरघोड़ा, जिला रायगढ़ छ.ग. की नियुक्ति हेतु आपके ओर तहसील अधिवक्ता संघ घरघोड़ा, जिला रायगढ़ छ.ग. के माध्यम से प्रेषित अधिवक्ताओं की सूची।

02. आपके द्वारा आदेश क्रमांक 2797/1953/21–ब/छ.ग./2025 नया रायपुर दिनाँक 02.07.2025 के आधार पर श्रीमती अर्चना मिश्रा अधिवक्ता को राज्य की ओर से पैरवी हेतु नियुक्ति पत्र की वेब प्रति।

03. न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर रायगढ़ (छ0ग0) के राजस्व प्रकरण क्र. 201810041000004/ 10/अ–21/2018–19 ग्राम घरघोड़ा, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ0ग0) पक्षकार बोधीराम बंशे एवं अन्य विरुद्ध रुपसिंह एवं अन्य में पारित आदेश दिनाँक 19.06.2023 की सत्य प्रतिलिपि जिसमें श्रीमती अर्चना मिश्रा पति प्रेमकिशोर मिश्रा द्वारा ग्राम घरघोड़ा स्थित गौचर मद् की भूमि खसरा नं. 10/1घ/1 रकबा 0.109हे. को अवैध रुप से क्रय किया गया जिसे शासन द्वारा राजसात कर दी गई है

न्यायालय श्रीमान् जिला न्यायाधीश घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ0ग0) के समक्ष नियमित सिविल अपील प्रकरण क्र. 05/2022 पक्षकार बोधीराम बंशे विरुद्ध संजय आ0 विश्वनाथ (मृत) के वारिसान अ, श्रीमती सुनैना नेगी एवं अन्य जिसमें श्रीमती अर्चना मिश्रा, अधिवक्ता उत्तरवादी क्र. 48 के रूप में संयोजित है, उक्त प्रकरण दिनाँक 08.04.2022 से पंजीकृत होकर चला आ रहा है से संबंधित आदेश पत्र, वाद पत्र, नोटिस की सत्यप्रतिलिपि की छायाप्रति।

स्थानः–घरघोड़ा
दिनाँकः–15.07.2025

आवेदक/आपत्तिकर्ता

Scanned with OKEN Scanner

छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला रायपुर (छ.ग.) 492002
फोन नं. 0771- 2221346, फैक्स नं. 0771-2510346
email- lawdept.cg@gov.in

mail

//आदेश//

02 JUL 2025

नवा रायपुर, दिनांक ——————

क्रमांक 2797/1953/21-ब/छ.ग./2025 राज्य शासन, एतद्द्वारा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 28 (1) के अनुसार, विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ0ग0) के लिये उक्त अधिनियम की धारा 32 (1) के अंतर्गत **श्रीमती अर्चना मिश्रा**, अधिवक्ता को राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि या उनके 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, के लिए विशेष लोक अभियोजक (POCSO) नियुक्त करता है।

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय -समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ0ग0 विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी। नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 8639/21-ब/छ.ग./2022 दिनांक 26 जुलाई, 2022 के अनुरूप देय होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भूपेन्द्र कुमार वासनीकर)
अतिरिक्त सचिव
विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय

पृ.क्र. 2798/1953/21-ब/छ.ग./2025 नवा रायपुर, दिनांक 02 JUL 2025

<u>प्रतिलिपि</u>:-

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी <u>रायगढ़</u> को उनके ज्ञापन क्रमांक / 4226/ न्या. लि./ 2025 दिनांक 28.05.2025 एवं ज्ञापन क्र. 4881/न्या.लि./2025 दिनांक 16.06.2025 के संदर्भ में,
2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.),
3. माननीय विधि मंत्री जी के विशेष सहायक की ओर उनके कार्यालय के जावक क्रमांक <u>467</u> दिनांक 30.06.2025 के संदर्भ में माननीय विधि मंत्री जी के अवलोकनार्थ,

Contd...2...

Scanned with OKEN Scanner

4. निज सचिव, प्रमुख सचिव, विधि की ओर प्रमुख सचिव, विधि महोदय के अवलोकनार्थ,
5. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.).
6. संचालक लोक अभियोजन, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
7. **श्रीमती अर्चना मिश्रा**, अधिवक्ता, हनुमान चौक, वार्ड क्रमांक 11, घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) को अग्रेषित कर लेख है, कि वे निम्नलिखित आशय का घोषण पत्र प्रस्तुत करें। (अ) विधि विभाग नियमावली के नियम 15 एवं 16 के अनुसार किसी भी सक्षम अदालत द्वारा वित्तीय रूप से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है और उनके खिलाफ कोई भी सिविल डिक्री लंबित नहीं या उनके खिलाफ कोई भी मामला लंबित नहीं है। (ब) किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के द्वारा या राज्य विधिज्ञ परिषद, भारतीय विधिज्ञ परिषद जहाँ उनका पंजीयन हो से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। (स) उनके विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामला किसी भी सक्षम अदालत में लंबित नहीं है और न ही किसी भी अदालत द्वारा उन्हें दोषसिद्ध ठहराया गया है। (द) **विशेष लोक अभियोजक (POCSO)** के कार्यावधि के दौरान राजनीतिक गतिविधियो में भाग नही लेगें तथा ऋण ग्रस्तता से भी बाधित नही होगें ऐसा घोषणा पत्र प्रस्तुत करें। (इ) कृपया कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन इस विभाग को तथा प्रतिलिपि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को प्रेषित करें।
8. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्द्रावती भवन के पास, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर राजपत्र (असाधारण) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ.
9. वेबसाईट एडमिनीस्ट्रेटर, विधि और विधायी कार्य विभाग की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने के संबंध में,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

02-07-25

(भूपेन्द्र कुमार वासनीकर)

अतिरिक्त सचिव

विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय कलेक्टर, रायगढ़ (छ0ग0)

रा.प्र.क्र.201810041000004/10/अ-21/18-19
ग्राम घरघोडा, तहसील घरघोडा जिला रायगढ़

बोधीराम वंशे आ0 कृपाराम बंशे जाति सतनामी
निवासी घरघोड़ा तहसील घरघोड़ा जि0 रायगढ़ - - आवेदक

विरूद्ध

1-रूपसिंह आ0 बोधराम जाति गोंड निवासी ग्राम पटेलपाली
2-दादूलाल आ0 सुखी जाति उरांव निवासी ग्राम कलमा
3-घसियाराम आ0 मोहितराम जाति उरांव निवासी ग्राम कलमा
4-श्रीमती गिरिजा दुबे पति देवेन्द्र दुबे
5- श्रीमती अनामिका दीवान पति अरूणधर दीवान
6- श्रीमती अर्चना मिश्रा पति श्री प्रेमकिशोर मिश्रा
7-श्रीमती कुमुदिनी मिश्रा पति विजय कृष्ण मिश्रा
निवासी ग्राम घरघोड़ा तह0 घरघोडा जिला रायगढ़ (छ0ग0) - - अनावेदकगण

-: आदेश :-

(पारित दिनांक 19 /06/2023)

बोधीराम बंशे आ0 कृपाराम वंशे निवासी घरघोड़ा तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ द्वारा छ0ग0भू-राजस्व संहिता की धारा 165(7ख) के तहत इस आशय की शिकायत की गई कि ग्राम घरघोड़ा प0ह0नं0 24 में खसरा नं0 10/1 रकबा 23.52 एकड़ गौचर मद एवं खसरा नं0 12/1 रकवा 7.52 एकड़ गौचर मद (तत्कालीन भूमिस्वामी श्रीमती रानी साहिया रायगढ़ स्टेट) के नाम मिसल जमावंदी वर्ष 1924-25 में दर्ज थी। उक्त भूखण्ड धारा 237(1) के तहत निस्तार भूखण्ड है, जिसे अनावेदकगण द्वारा शासन से बिना अनुमति लिये क्रय किया गया है, अतः उक्त भूमि को शासन में निहित किया जावे।

उपरोक्तानुसार शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी, घरघोड़ा को जांच तथा प्रतिवेदन के लिये भेजा गया । प्रकरण में तहसीलदार घरघोड़ा द्वारा जांच की गई तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । प्रतिवेदित किया गया कि लोकनाथ आ0 धोवा जाति तिउर को रैयती भूमि खसरा नं0 246/1 रक़बा 1.96 एकड़ के वदले शासकीय भूमि खसरा नं0 10/1क से रकवा 1.96 एकड़ छोटे झाड़ का जंगल ,बुंदकुंवर वेवा जगन्नाथ जाति कंवर को रैयती भूमि खसरा नं0 245/1 से रकबा 6.50 एकड़ के बदले शासकीय भूमि खसरा नं0 12/1क से रकबा 6.50 एकड़ छोटे झाड़ के जंगल एवं जोगीराम आ0 कुटलू जाति कंवर को रैयती भूमि खसरा नं0 197 से रकवा 3.78 एकड़, खसरा नं0 246 रकबा 1.54 एकड़, खसरा नं0 202 रकबा 3.00 एकड़ योग 8.32 एकड़ के बदले शासकीय भूमि खसरा नं0 10/1क से रकवा 8.32 एकड़ छोटे झाड़ का जंगल को कार्यालय कलेक्टर के आदेश क्रमांक 01 रा0लि0 166/26/अ-124/1966-67 दिनांक 25-4-1967 के अनुसार काश्तकारों के मांग किये जाने पर रैयती भूमि के वदले में शासकीय भूमि दी गई थी। उक्त भूमि खसरा नं0 12/1 तथा 10/1 से विभिन्न किसानों को भूमि आवंटित की गई है, जिन्हें विना कलेक्टर की अनुमति के विक्री की गई है:-

क्रमांक	खसरा नंबर	रकबा	पूर्व भूमिस्वामी का नाम(विक्रेता)	वर्तमान भूमिस्वामी का नाम(क्रेता)
1	2	3	4	5
1	10/1घ/1	0.109	रत्थीनाथ, किरणकला पिता लोकनाथ, दीपक, अमर माता शशीकला जाति तिउर निवासी घरघोड़ा	गिरिजा दुबे पति देवेन्द्र कुमार, अर्चना मिश्रा पति प्रेमकिशोर मिश्रा जाति ब्राम्हण सा0 घरघोड़ा

C.A.No. 202326/17 सत्यप्रतिलिपि रा.प्र.क्र. 201810041000004/10/अ21/18-19
पक्षकार- बोधीराम वंशे वि. रूपसिंह वंगे ग्राम- घरघोड़ा
तहसील- घरघोड़ा जिला-रायगढ़ (छ.ग.) जो कलेक्टर के न्यायालय में दर्ज है।
सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
कार्यालय जिलाध्यक्ष
Cancelled
Scanned with OKEN Scanner

2	10/1घ/2	0.684	रत्थीनाथ, किरणकला पिता लोकनाथ, दीपक, अमर माता शशीकला जाति तिउर निवासी घरघोड़ा	कुमुदिनी मिश्रा पति विजयकृष्ण, अनाममिका दीवानपति अरूणधर दीवान सा0 घरघोड़ा
3	10/1च	0.445	जगतुराम व मोहन जाति कंवर सा0 घरघोड़ा	रूपसिंह व बोधराम जाति गोंड सा0 पटेलपाली
4	10/1ज	0.162	जगतुराम व मोहन जाति कंवर सा0 घरघोड़ा	रूपसिंह व बोधराम ज़ाति गोंड सा0 पटेलपाली
5	10/1झ	0.598	ना0वा0 तरूण व जलसाय जाति कंवर सा0 घरघोडा	रूपसिंह व बोधराम जाति गोंड सा0 पटेलपाली
6	10/1छ	0.445	कुखां व बैंगीन जाति कंवर सा0 घरघोडा	दादूलाल व सुखी जाति उरांव सा0 कलमा
7	10/1ट	0.599	विश्राम व0 मतवार जाति कंवर सा0 घरघोड़ा	घसियाराम व मोहितराम जाति उरांव सा0 कलमा
8	10/1अ	3.366	राजेन्द्र व0 जोगीराम जाति कंवर सा0 घरघोड़ा	घसियाराम व मोहितराम जाति उरांव सा0 कलमा
9	12/1च/1	0.438	बुन्दकुंवर बेवा जगन्नाथ जाति कंवर सा0 घरघोड़ा	दादूलाल व सुखी जाति उरांव सा0 कलमा

उपरोक्तानुसार तहसीलदार, घरघोड़ा के प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, घरघोड़ा द्वारा प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

2- उभयपक्षों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर आहूत किया गया। शिकायतकर्ता बोधीराम बंशे उपस्थित होकर अपने शिकायत के अभिकथनों को दोहराया गया। प्रकरण में आवेदक का तर्क सुना जाकर प्रकरण आदेशार्थ नियत किया गया।

3- प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि लोकनाथ आ0 धोवा जाति तिउर को रैयती भूमि खसरा नं0 246/1 रकबा 1.96 एकड़ के बदले शासकीय भूमि खसरा नं0 10/1क से रकबा 1.96 एकड़ छोटे झाड़ का जंगल ,वुंदकुंवर बेवा जगन्नाथ जाति कंवर को रैयती भूमि खसरा नं0 245/1 से रकवा 6.50 एकड़ के बदले शासकीय भूमि खसरा नं0 12/1क से रकवा 6.50 एकड़ छोटे झाड़ के जंगल एवं जोगीराम आ0 कुटलू जाति कंवर को रैयती भूमि खसरा नं0 197 से रकवा 3.78 एकड़, खसरा नं0 246 रकबा 1.54 एकड़, खसरा नं0 202 रकबा 3.00 एकड़ योग 8.32 एकड़ के वदले शासकीय भूमि खसरा नं0 10/1क से रकवा 8.32 एकड़ छोटे झाड़ का जंगल को कार्यालय कलेक्टर के आदेश क्रमांक 01 रा0लि0 166/26/अ-124/1966-67 दिनांक 25-4-1967 के अनुसार काश्तकारों के मांग किये जाने पर रैयती भूमि के बदले में शासकीय भूमि दी गई थी। इस प्रकार उक्त छोटे झाड जंगल मद की भूमि उपरोक्त अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को आवंटित की गई थी, जिसे कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित क्रेताओं द्वारा किसी प्रकार से वैधानिक अनुमति प्राप्त किये क्रय किया गया है। अनावेदकगणों द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार से अनुमति वैधानिक अनुमति करने संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता कि उक्त भूमि विक्रय करने के संबंध में अनावेदकगण द्वारा छ0ग0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7-ख) के तहत कोई वैधानिक अनुमति नहीं लिये जाने से क्रय-विक्रय में उक्त प्रावधान का उल्लंघन होता है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त कॉलम के सरल क्रमांक 1 व 2 के कॉलम नं0 4 के अनुसूचित जनजाति श्रेणी के भूमिस्वामियों की भूमि को सक्षम अधिकारी के अनुमति के विना सरल क्रमांक 1 व 2 के कॉलम नं0 5 के गैर अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को विक्रय किया गया है, इस प्रकार प्रकरण में

Cancelled

सत्य प्रतिलिपि रायगढ़ कार्यालय जिलाध्यक्ष

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
कार्यालय जिलाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

छ0ग0भू-राजस्व संहिता की धारा 170 के प्रावधान भी आकर्षित होते है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी, घरघोड़ा पृथक से प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

अतएव अनावेदकगण क्रमांक 1 से 3 के पूर्वजो को ग्राम घरघोड़ा तहसील घरघोड़ा स्थित भूमि खसरा नं0 10/1 एवं 12/1 से आबंटित भूमि कॉलम नं0 2 की भूमि व रकवा को कॉलम नं0 5 के क्रेताओं को वैधानिक अनुमति के बिना विक्रय किये जाने से उक्त भूमि के संबंध में आंवटन आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाकर कॉलम नं0 2 व 3 की समस्त भूमि शासन में निहित किया जाता है । उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में घास मद में दर्ज किया जाये । तद्नुसार तहसीलदार,घरघोड़ा राजस्व अभिलेख दुरूस्त करें।

आदेश पारित एवं उद्घोषित।

(तारन प्रकाश सिन्हा)
कलेक्टर,
रायगढ़(छ0ग0)

Cancelled

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
कार्यालय जिलाध्यक्ष
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

4=00

- 8 JUL 2025

न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त जिला न्यायाधीश घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ0ग0)

1. बोधी राम आ. कृपाराम, उम्र 65 वर्ष,
2. कोंदा आ. कृपाराम, उम्र 70 वर्ष,
3. धोबी आ. कृपाराम, उम्र 72 वर्ष,
सभी की जाति सतनामी, पेशा कृषि,
(अम्बेडकर नगर घरघोड़ा)
थाना व तहसील घरघोड़ा,
जिला रायगढ़ (छ0ग0) -- अपीलार्थी

--:: विरुद्ध ::--

1. संजय आ. विश्वनाथ (मृत) के वारिसान :-
अ. श्रीमती सुनैना नेगी पति संजय नेगी उम्र 50 वर्ष,
ब. ना.बा.हरेन्द्र नेगी पिता संजय नेगी उम्र 17 वर्ष,
स. ना.बा. सुर्यकुमार नेगी पिता संजय नेगी उम्र 15 वर्ष,
उक्त ब एवं स का वलिमाता अ श्रीमती सुनैना नेगी
उक्त सभी का निवासी घरघोड़ा वार्ड नं. 12 नेगीपारा,
तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ छ.ग.
2. राजीव आ. विश्वनाथ उम्र लगभग 53 वर्ष,
3. गुड्डी आ. विश्वनाथ उम्र लगभग 52 वर्ष,
4. मेहतरीन आ. बीरसिंह उम्र लगभग 53 वर्ष,
5. जोगीराम आ. रायसिंह उम्र लगभग 80 वर्ष,
6. शशिनाथ आ. पतिराम उम्र लगभग 73 वर्ष,
7. राकेश आ. रामनाथ उम्र लगभग 45 वर्ष,
8. रमेश आ. रामनाथ उम्र लगभग 43 वर्ष,
9. सहनू आ. लक्ष्मीप्रसाद उम्र लगभग 42 वर्ष,
10. रुकमन आ. लक्ष्मीप्रसाद उम्र लगभग 40 वर्ष,
11. रुपधर आ. लक्ष्मीप्रसाद उम्र लगभग 40 वर्ष,
12. वनिता आ. लक्ष्मीप्रसाद उम्र लगभग 37 वर्ष,
13. पदमावती आ. लक्ष्मीप्रसाद उम्र लगभग 68 वर्ष,
14. विश्राम आ. लक्ष्मीप्रसाद (मृत) के वारिसान
   1. रामकृष्ण आ. स्व. विश्राम उम्र 40 वर्ष,
   2. हरिशंकर आ. स्व.विश्राम उम्र 38 वर्ष,
   3. लक्ष्मीन आ. स्व.विश्राम उम्र 48 वर्ष,
   4. कारी नोनी आ. स्व.विश्राम उम्र 46 वर्ष,
   5. भोजो आ. स्व.विश्राम उम्र 44 वर्ष,
   6. चारो आ. स्व.विश्राम उम्र 42 वर्ष,
   7. श्रीमती सुकमति पति स्व.विश्राम उम्र 70 वर्ष,
   उक्त सभी का निवासी घरघोड़ा वार्ड नं. 11
   तमनरिहापारा, तहसील घरघोड़ा,
   जिला रायगढ़ छ.ग.

बोधीराम कोंदाराम

क्रमशः...........2

COPING COPING

2रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

2रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

Scanned with OKEN Scanner

2..........

15. राजेन्द्र आ. जोगीराम उम्र लगभग 43 वर्ष,
16. अमरावती आ. जोगीराम उम्र लगभग 50 वर्ष,
17. वृन्दावती आ. जोगीराम उम्र लगभग 68 वर्ष,
18. श्रीमती पुरनी बेवा जोगीराम उम्र लगभग 68 वर्ष,
19. श्रीमती मालती बेवा जोगीराम उम्र लगभग 70 वर्ष,
20. शिवशंकर आ. बैरागीराम उम्र लगभग 50 वर्ष,
21. मीनाकुमारी आ. बैरागीराम उम्र लगभग 43 वर्ष,
22. माधोबाई आ. जलसाय, उम्र लगभग 70 वर्ष,
23. अरूण आ. जलसाय, उम्र लगभग 42 वर्ष,
24. बेलमती पति जलसाय, उम्र लगभग 60 वर्ष,
25. संतोष आ. मेहतरीन (मृत) के वारिसान –
अ. श्रीमती उमा पैंकरा पिता स्व. संतोष पैंकरा उम्र 44 वर्ष,
ब. छोटे बाबू पैंकरा पिता स्व. संतोष पैंकरा उम्र 32 वर्ष,
26. अजीत आ. मेहतरीन (मृत) के वारिसान –
अ. मालती पैंकरा पति अजीत पैंकरा
ब. मनोज पैंकरा पिता अजीत पैंकरा
स. दीपक पैंकरा पिता अजीत पैंकरा
द. श्रीमती अनिता पैंकरा पिता अजीत पैंकरा
सभी का निवासी घरघोड़ा वार्ड नं. 14 नेगीपारा,
तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ छ.ग.
27. दूलोरिन आ. मेहतरीन उम्र लगभग 58 वर्ष,
28. जग्गो आ. भुरू (मृत)
क. रामदूलारी पिता जग्गो उम्र लगभग 42 वर्ष,
ख. सुनीता पिता जग्गो उम्र लगभग 39 वर्ष,
ग. श्रीमती गंगावती पति जग्गो उम्र लगभग 62 वर्ष,
29. दीनानाथ उर्फ द्वारका पिता फत्ते उम्र लगभग 42 वर्ष,
30. अनिता पिता फत्ते उम्र लगभग 34 वर्ष,
31. श्रीमती अनुराधा पिता फत्ते उम्र लगभग 40 वर्ष,
32. श्रीमती फूलमति पति फत्ते उम्र लगभग 65 वर्ष,
सभी का निवासी घरघोड़ा, नेगीपारा,
तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ छ.ग.
33. जगतूराम आ. मोहन उम्र लगभग 52 वर्ष,
34. जगतराम आ. मोहन उम्र लगभग 54 वर्ष,
35. जगदीश आ. मोहन उम्र लगभग 52 वर्ष,
उक्त कं. 33,34 एवं 35 का जाति कंवर,
निवासी भेण्ड्रा कपाटडेरा, तहसील घरघोड़ा
जिला रायगढ़ छ.ग.
36. विमला आ. बालकराम उम्र लगभग 53 वर्ष,
37. मंगलू आ. बिहानू (मृत) के वारिसान
अ. विनोद आ. मंगलू उम्र 35 वर्ष,
ब. अजय आ. मंगलू उम्र 33 वर्ष,
स. विजय आ. मंगलू उम्र 31 वर्ष,

कौदारक्ष चौधरी

...........3

CF 4=00

8 JUL 2025

3..........

उक्त 36, 37 का जाति उरांव,
निवासी घरघोड़ा, तहसील घरघोड़ा,
जिला रायगढ़ छ.ग.

38. रजनी आ. दयाराम उम्र लगभग 56 वर्ष,
जाति राउत, (अहिर) निवासी घरघोड़ा,
तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ छ.ग.

39. अमर माता किरनकला, उम्र लगभग 47 वर्ष,

40. शशिकला आ. लोकनाथ उम्र लगभग 56 वर्ष,

41. पूर्णमाशी बेवा लोकनाथ उम्र लगभग 45 वर्ष,
उक्त 39,40,41,42, का जाति तिउर,
निवासी घरघोड़ा वार्ड नं. 13 तहसील घरघोड़ा,
जिला रायगढ़ छ.ग.

42. सुरेखा सिदार आ. तेजराम सिदार उम्र 66 वर्ष,
जाति गोंड़, निवासी घरघोड़ा, तहसील घरघोड़ा
जिला रायगढ़ छ.ग.

43. रूपसिंह आ. बोधराम सिदार उम्र 66 वर्ष,
जाति गोंड़, निवासी पटेलपाली, तहसील व
जिला रायगढ़ छ.ग.

44. दादूलाल आ. सुखीराम उम्र 65 वर्ष,

45. घसिया आ. मोहितराम उम्र 60 वर्ष,

46. श्रीमती गिरिजा दुले पति स्व. देवेन्द्र दुले उम्र 63 वर्ष,
निवासी वार्ड नं. 13 घरघोड़ा, तहसील
घरघोड़ा, जिला रायगढ़ छ.ग.

47. अनामिका दीवान पति अरूणधर दीवान उम्र 42 वर्ष,
निवासी घरघोड़ा, तहसील घरघोड़ा,
जिला रायगढ़ छ.ग.

48. श्रीमती अर्चना मिश्रा पति प्रेमकिशोर मिश्रा उम्र 41 वर्ष,
निवासी घरघोड़ा वार्ड नं. 11 तहसील घरघोड़ा,
जिला रायगढ़ छ.ग.

49. श्रीमती कुमोदनी मिश्रा पति विजय मिश्रा
उम्र 62 वर्ष, निवासी घरघोड़ा वार्ड नं. 11
तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ छ.ग.

50. छ0ग0शासन द्वारा –
जिलाध्यक्ष रायगढ़ (छ0ग0) – – उत्तरवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 96 व्य0प्र0सं01908

....

यह अपील व्यवहार न्यायाधीश वर्ग –01 घरघोड़ा(सुश्री प्रतिभा मरकाम) बोधीराम वगैरह द्वारा विरुद्ध संजय पैंकरा वगैरह में व्य0वाद0

बोधीराम कोपाराम

...........4

COPYING COPYING

2 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

2 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

Scanned with OKEN Scanner

HEAD COPYIST ADD. DISTRICT & SESSION JUDGE
GHARGHODA CIVIL COURT
DISTRICT RAIGARH

प्र.कं0 133/2012 में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 05.03.2022 से क्षुब्ध एवं पीड़ित होकर निम्न तथा अन्य आधारों पर न्याय उद्वेश्य की प्राप्ति हेतु यह अपील पेश है।

....

अपीलार्थीगण निम्नानुसार अपील प्रस्तुत करता है :-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि ग्राम घरघोड़ा थाना व तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ छ0ग0 में अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी कृपाराम आ. मखनू जाति सतनामी साकिन घरघोड़ा जिला रायगढ़ छ.ग. द्वारा निम्नांकित गौचर मद की भूमि जिसका विवरण निम्नावत् है – ग्राम घरघोड़ा प.ह.नं.-24 तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ म.प्र. /छ.ग. में स्थित है, जिसका विवरण मिशल जमाबंदी वर्ष 1924-25 ग्राम घरघोड़ा में अंकित है। जिसका खसरा नम्बर निम्नावत् है :-

खसरा नम्बर	रकबा
10/1	23.52एकड़
12/1	07.52एकड़

....

योग- 02 कुल रकबा 31.04एकड़ भूमि

2. यह कि उक्त भू-खण्ड पर अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी कृपराम आ. मखनू कृषि कार्य हेतु उपजाऊ बनाने वास्ते काफी मेहनत मशकत एवं खर्च किये जिससे उक्त भू-खण्ड पर अपीलार्थीगण विरासतन हक आधिपत्य से कब्जा दखल करते चले आ रहे है।

3. यह कि उक्त भू-खण्ड वर्तमान में अपीलार्थीगण के कब्जे दखल में धारित है, जो लगभग 80 वर्ष से भी अधिक हो चुका है, उक्त भू-खण्ड पर हल्का पटवारी द्वारा बायपास सड़क निर्माण हेतु नाप जोक कर रहे थे को देखकर अपीलार्थीगण द्वारा तहसीलदार घरघोड़ा के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये, जिसे तहसीलदार घरघोड़ा द्वारा आपत्ति आक्षेप करते हुए यह कहा गया कि उक्त भू-खण्ड पर " आप लोगों का कब्जा दखल विरासतन हक आधिपत्य से चला आ रहा है किन्तु आप लोगों का नाम राजस्व अभिलेख में नही होने से सीमांकन नही किया जा सकता " । तब अपीलार्थी क्रं. 01 बोधीराम द्वारा उक्त वाद भूमि के संबंध में सूचना अधिकार के

बोधीराम बोधराम

CF 4=00
8 JUL 2025

तहत् जनसूचना अधिकारी तहसीलदार घरघोड़ा को आवेदन प्रेषित कर अपीलाधीन वाद भूमि के कब्जा दखल के संबंध में जानकारी नकल चाही गई, जिस पर तहसीलदार घरघोड़ा द्वारा दिनांक 04.01.2010 को उक्त अपीलाधीन वाद भूमि पर अपीलार्थीगणों का कब्जा 70 वर्ष होने के संबंध में जानकारी नकल पंचनामा सहित दी गई। उक्त जानकारी नकल के आधार पर दिनांक 10.04.2012 को प्रतिकुल कब्जे के आधार पर स्वत्व की घोषणा एवं कब्जे की पुष्टि तथा स्थाई व्यादेश हेतु व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 01 घरघोड़ा के समक्ष वाद संस्थित की गई।

अपीलाधीन वाद भू-खण्ड पर वाद संस्थित करने के पूर्व 70 वर्ष तथा दिनांक 05.03.2022 से अब तक अपीलार्थीगण का कब्जा दखल निरंतर चला आ रहा है, जो लगभग आज की तिथि में 80 वर्ष पूर्ण हो चुका है।

4. यह कि अपीलाधीन वाद भू-खण्ड पर उत्तरवादीगणों का कभी भी किसी भी प्रकार से कब्जा दखल नही है, और न ही उत्तरवादीगणों द्वारा निम्न विचारण न्यायालय में अपने कब्जा दखल होने के संबंध में किसी भी प्रकार से साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे है।

अपीलाधीन वाद भू-खण्ड पर उत्तरवादीगणों को उनके भूमि स्वामी/शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि के तबादले में अपीलाधीन भू-खण्ड को मात्र राजस्व अभिलेख में इंद्राज किया गया है, मौके पर आज पर्यन्त उत्तरवादीगणों का किसी भी प्रकार से कब्जा दखल नही है। उक्त कथन अपीलार्थीगण अपने साक्ष्य में निम्न विचारण न्यायालय में दस्तावेज सहित प्रस्तुत कर चुके है, जिसे पीठासीन अधिकारी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 घरघोड़ा द्वारा अपीलार्थीगणों के साक्ष्य एवं दस्तावेज को दरकिनार कर अपीलार्थीगणों के वाद को निरस्त किया जाकर डिक्री पारित की गई, जिससे परिवेदित होकर अपीलार्थीगण निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत करते है ।

--:: <u>अपील का आधार</u> :: --

1. यह कि निम्न विचारण न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग - 01 घरघोड़ा जिला रायगढ़ छ.ग. द्वारा अपीलार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद क्रं.-13अ/2012 पक्षकार बोधीराम बंशे एवं अन्य विरुद्ध संजय आ. विश्वनाथ वगैरह में पारित आदेश एवं डिक्री दिनांक 05.03.2022 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है।

बोधीराम बोधाराम

............6

COPYING COPYING

2 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
2 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

Scanned with OKEN Scanner

HEAD COPYIST ADD. DISTRICT & SESSION JUDGE
GHARGHODA CIVIL COURT
DISTRICT RAIGARH
OFFICE CHARGE...........

2. यह कि निम्न विचारण न्यायालय द्वारा प्रदर्श क्रं. पी–1 जो कि सूचना अधिकार के तहत् राजस्व अधिकारी तहसीलदार घरघोड़ा से प्राप्त पंचनामा , प्रतिवेदन दस्तावेज है, जिस पर संदेह की कोई गुंजाईश नही है, को दरकिनार करते हुए आलोच्य आदेश एवं डिक्री विधि एवं प्रकिया के विपरीत पारित की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि निम्न विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी साक्षी श्रीमती रजनी यादव के साक्ष्य कथन जिसमें " प्रतिवादी साक्षी रजनी यादव द्वारा स्वयं तथा अपने पूर्वाधिकारियों द्वारा अपीलाधीन वाद भूमि पर कभी भी किसी भी प्रकार से कब्जा कास्त नही किये जाने के संबंध में और अपीलाधीन वाद भूमि को मौके पर नही देखे जाने के संबंध में दिनांक 17.09.2021 को न्यायालय में साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन की है, " तथा अन्य किसी भी प्रतिवादी/ उत्तरवादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार से साक्ष्य कथन प्रस्तुत नही किये है, और न ही दस्तावेज प्रस्तुत किये है, फिर भी निम्न न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा आलोच्य आदेश एवं डिक्री पारित कर वादीगण का वाद निरस्त किया गया है। जो स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

4. यह कि अपीलाधीन वाद भूमि गौचर मद की भूमि है, जिसे न तो शासन द्वारा शासकीय पट्टे में और तबादले में किसी भी व्यक्ति को नही दी जा सकती है। अपीलाधीन वाद भूमि में से वाद के प्रचलन अवधि में ही प्रतिवादी अमर, शशिकला, पूर्णमाशी द्वारा प्रतिवादी अनामिका, अर्चना, कुमोदिनी वगैरह के पक्ष में अवैध रूप से विक्रय पंजीयन हुआ है, जिसे अपीलार्थीगणो के द्वारा दस्तावेज सहित अपने तर्क में बताये जाने के पश्चात भी आलोच्य आदेश पारित कर वादीगण का वाद निरस्त किया गया है।

5. यह कि वर्ष 1924–25 में वाद भूमि गौचर मद की थी, जो कि वर्ष 1954–55 में शासन द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार करते समय शासकीय भूमि के रूप में राजस्व अभिलेख संधारण किया गया है। कार्यालय जिला अध्यक्ष रायगढ़ छ.ग. द्वारा अपने प्रकरण कं.– 26अ124/1966–67 दिनांक 25.04.1967 को कुछ उत्तरवादीगण को वाद भू–खण्ड अवैध रूप से तबादले में दिया, जो कि मात्र औपचारिक है। उत्तरवादीगण को तबादले में भूमि दिये जाने के उपरांत भी मूल खसरा नम्बर जिसका तबादला हुआ है पर उत्तरवादी काबिज है।

जिसका स्पष्ट विवरण निम्नावत् है –

बोधीराम कोदाराम

...............7

CF 2-00
8 JUL 2025

नाम	खसरा	रकबा	ख.नं.	रकबा
1. शशिनाथ वल्द पतीराम	12/1च2	0.438	-245	0.645
2. पुनीलाल वल्द जयलाल साल्हे पति सुकदेव	12/1च/3	0.438	-245/1ङ	0.645
3. सहनू पिता लक्ष्मीप्रसाद	12/1च/4	0.440	- 245/1ग	0.645
4. रामदुलारी पिता जगोराम	12/1च/5	0.440	- 245/1घ	0.645
5. संतोष माता मेहतरीन	12/1च/6	0.438	- 245/1च	0.647
6. सुरेखा पति तेजराम	12/1च/1	0.438	- 245छ	0.647
7. राजीव पिता विश्वनाथ	12/1च	0.438	- 245/1क	0.647
8. विनोद, मनोज, सरोज, उर्मिला,पुष्पा पिता नरसिंह जाति उरांव	10/1	8.32हे.	197/1	0.299
9. गंगाराम पिता सुखराम, मु. इन्दुमोती पति कुमार, ना.बा. भारती पिता कुमार, फूलकुमारी पिता धनीराम जाति कंवर	10/1	1.43हे.	-204/2	0.587
10. जगतु, जगदीश पिता मोहन जाति कंवर	10/1 से	1.10	208/2क	0.121
	10/1 से	0.40	208/3	0.324

उपरोक्त प्रकार से तबादले में भूमि दिये जाने के उपरांत भी उत्तरवादीगण अपने मूल भूमि एवं तबादले में प्राप्त भूमि दोनों में ही नाम दर्ज करा लिये है, किन्तु तबादले में प्राप्त भूमि पर किसी भी प्रकार से कब्जा दखल उत्तरवादीगण का नही है।

6. यह कि अपील प्रस्तुति हेतु विहित न्याय शुल्क चस्पा है।

7. यह कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं डिक्री दिनांक 05,03.2022 की सत्यप्रतिलिपि का नकल हेतु दिनांक 07.03.2022 को नकल आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो कि दिनांक 14.03.2022 को नकल प्राप्त हुआ, इस प्रकार नकल प्राप्ति से विहित समयावधि के अंदर अपील समयावधि में प्रस्तुत है।

अतः अपील स्वीकार कर निम्न न्यायालय द्वारा व्य0वाद0 प्र.कं0 13अ/2012 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.03.2022 निरस्त कर वादीगणो द्वारा निम्न न्यायालय में चाहे गये वांछित अनुतोष प्रदाय करने की कृपा हो।

कोपाराम   कोपीराम

घरघोड़ा
दिनांक 04.04.2022   अपीलार्थीगण

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण

COPING

8/7/25

OF 4=00
8 JUL 2025

श्री ...[handwritten]... अधिवक्ता / आवेदक
सी०ए०नं० ...399.../2025
...[handwritten]... वास्ते।

...[handwritten]... की प्रतिलिपि।

जो कि न्यायालय श्री अभिषेक शर्मा जिला न्यायाधीश, घरघोड़ा, जिला रायगढ़ छ०ग० के ...[handwritten]... प्रकरण कमांक....05.../....2022....में अभिलिखित किया गया है। जिसमे पेशी/आदेश/निर्णय दिनांक..11../..07../..2025....को नियत/पारित/घोषित किया गया है। जिनके पक्षकारों के नाम निम्नानुसार है:—

1. बोधी राम आ. कृपाराम, उम्र 65 वर्ष,
2. कोंदा आ. कृपाराम, उम्र 70 वर्ष,
3. धोबी आ. कृपाराम, उम्र 72 वर्ष,
सभी की जाति सतनामी, पेशा कृषि,
(अम्बेडकर नगर घरघोड़ा)
थाना व तहसील घरघोड़ा,
जिला रायगढ़ (छ०ग०) — — अपीलार्थी

--:: विरूद्ध ::--

1. संजय आ. विश्वनाथ (मृत) के वारिसान :-
अ. श्रीमती सुनैना नेगी पति संजय नेगी उम्र 50 वर्ष,
ब. ना.बा.हरेन्द्र नेगी पिता संजय नेगी उम्र 17 वर्ष,
स. ना.बा. सुर्यकुमार नेगी पिता संजय नेगी उम्र 15 वर्ष,
उक्त ब एवं स का वलिमाता अ श्रीमती सुनैना नेगी
उक्त सभी का निवासी घरघोड़ा वार्ड नं. 12 नेगीपारा,
तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ छ.ग.
2. राजीव आ. विश्वनाथ उम्र लगभग 53 वर्ष,
3. गुड्डी आ. विश्वनाथ उम्र लगभग 52 वर्ष,
4. मेहतरीन आ. बीरसिंह उम्र लगभग 53 वर्ष,
5. जोगीराम आ. रायसिंह उम्र लगभग 80 वर्ष,
6. शशिनाथ आ. पतिराम उम्र लगभग 73 वर्ष,
7. राकेश आ. रामनाथ उम्र लगभग 45 वर्ष,
8. रमेश आ. रामनाथ उम्र लगभग 43 वर्ष,
9. सहनू आ. लक्ष्मीप्रसाद उम्र लगभग 42 वर्ष,
10. रूकमन आ. लक्ष्मीप्रसाद उम्र लगभग 40 वर्ष,
11. रूपधर आ. लक्ष्मीप्रसाद उम्र लगभग 40 वर्ष,
12. वनिता आ. लक्ष्मीप्रसाद उम्र लगभग 37 वर्ष,
13. पदमावती आ. लक्ष्मीप्रसाद उम्र लगभग 68 वर्ष,
14. विश्राम आ. लक्ष्मीप्रसाद (मृत) के वारिसान
   1. रामकृष्ण आ. स्व. विश्राम उम्र 40 वर्ष,
   2. हरिशंकर आ. स्व.विश्राम उम्र 38 वर्ष,
   3. लक्ष्मीन आ. स्व.विश्राम उम्र 48 वर्ष,
   4. कारी नोनी आ. स्व.विश्राम उम्र 46 वर्ष,
   5. भोजो आ. स्व.विश्राम उम्र 44 वर्ष,
   6. चारो आ. स्व.विश्राम उम्र 42 वर्ष,
   7. श्रीमती सुकमति पति स्व.विश्राम उम्र 70 वर्ष,
   उक्त सभी का निवासी घरघोड़ा वार्ड नं. 11
   तमनरिहापारा, तहसील घरघोड़ा,
   जिला रायगढ़ छ.ग.

COPYING
COPYING

Scanned with OKEN Scanner

OF
8 JUL

सबब बताने के लिए नोटिस
(मामूली नमूना)

प्रोसेस नम्बर 314/22
पेशी ता0 05.7.2022

अदालत जनाब..

दीवानी मुकदमा)
न्यूडिशियल केस) सिविल प्र0 क्रमांक 05/2022
मिसलेनियस अपील)

बोधीराम वगै0 बनाम संजय वगै0

बनाम. श्रीमती अर्चना मिश्रा पति प्रेमकिशोर मिश्रा उम्र लगभग 41 वर्ष निवासी घरघोडा वार्ड नं. 11 तहसील घरघोडा जिला रायगढ छ0ग0

क्योंकि.... मामले के।
उपर लिखित मुकदमे के.......... संबंध में।
ईस अदालत की दरख्वास्त की है आवेदन की प्रतिलिपी संल्गन है ।
कि..

इसलिये तुम्हें नोटिस दिया जाता है कि तुम खुद या मार्फत किसी वकील के जिसे मुकदमें के हाल अच्छी तरह समक्ष दिया गया हो **तारीख 05 माह.. 07 सन् 2022 को दिन के 11 बजे** इस अदालत में हाजिर होकर दरख्वास्त के खिलाफ सबब बतलाओं नही तो उसकी तुम्हारी गैर–हाजिरी में सुनवाई होकर फैसला किया जावेगा।

इस अदालत की मोहर से आज तारीख. 14 माह. 06 सन्. 2022 को जारी किया गया।

न्यायाधीश ★ घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) मुहर

B/O

2 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY COPYING

2 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY COPYING

Scanned with OKEN Scanner

एक प्रति नोटिस नकल के साथ पाई।

Rajashree
21/06/22

महोदयजी,

आज दिनांक 21-6-2022 को खाता साकिन घरघोड़ा में जाकर एक प्रति नोटिस मय नकल के साथ श्रीमती अर्चना मिश्रा पति प्रेमकिशोर मिश्रा को देकर खुद पर तामिल किया।

खुद पर तामिली
[signature]

[signature]
21/06/22
P.S.

प्रतिलिपि

8/7/25

1. आवेदन पत्र प्रस्तुत का दिनांक	05-07-2025
2. आवेदक को उपस्थित हेतु दी गई दिनांक	14-07-2025
3. आवेदक के उपस्थित होने की दिनांक	8 JUL 2025
4. आवेदन-पत्र (और भी तथा सही विवरणों सहित या रहित) अभिलेखागार को भेजने की दिनांक	05-07-2025
5. आवेदन पत्र के अभिलेखागार से (अभिलेख के साथ या और भी या सही विवरणों के लिये, और अभिलेख के) प्राप्त होने की दिनांक	08-07-2025
6. आवेदक को और भी तथा सही विवरण देने की सूचना देने का दिनांक	—
7. आवेदक को और का जमा करने की सूचना देने की दिनांक	8 JUL 2025
8. [illegible] या (ऐसी सूचना के पालन की दिनांक	8 JUL 2025
9. प्रतिलिपि तैयारी की दिनांक	8 JUL 2025
10. प्रतिलिपि देने या देने की दिनांक	8 JUL 2025
11. वसूल की गई न्याय शुल्क	10=00

प्रतिलिपिकार [signature]

सत्यापनकर्ता [signature]

मुख्य प्रतिलिपिकार [signature]

8 JUL 2025

8 JUL 2025

07.05.2025 अपीलार्थीगण द्वारा अधिवक्ता श्री तपन डनसेना ।

उत्तरवादीगण क्रमांक 6, 25, 46 से 49, 26 अ,ब, स, एवं 28 क, ख, ग द्वारा अधिवक्ता श्री डी.के. पण्डा ।

उत्तरवादी क्रमांक 33, 34, 35, 14(2) द्वारा अधिवक्ता सुश्री माधुरी मिश्रा ।

उत्तरवादी क्रं. 36 एवं 38 द्वारा अधिवक्ता श्री विद्याशंकर बोहिदार ।

उत्तरवादी क्रं. 1 अ से स, 2, 3, 5, 7 से 14 के (1,3,4,5,6,7), 15 से 19, 21, 27, 29, 32, 37 के (अ से स) एकपक्षीय ।

उत्तरवादी क्रं. **31 एकपक्षीय** । द्वारा अधिवक्ता श्रीमती मंजली मिश्रा।

उत्तरवादी क्रं. **50 एकपक्षीय** ।

उत्तरवादी क्रं.39 अनुपस्थित ।

उत्तरवादी क्रं.22,24,30,42 से 45 अनिर्वाहित ।

प्रकरण आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व्य.प्र.सं./आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 व्य.प्र.सं.

Noted 11.7.25

COPING

दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

COPING

दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

Scanned with OKEN Scanner

II-156
C.J.

Order Sheet [Contd.]

Case No. ..../..............

Date of Order or Proceeding	Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where Necessary
	के जवाब/उत्तरवादी क्रं.22,24,30,42 से 45 की उपस्थिति हेतु नियत है ।	
	पूर्वादेशानुसार तलवाना अदा नहीं ।	
	अपीलार्थीगण द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 43 का सही पता ज्ञात करते हुये विधिवत् 03 दिवस के भीतर आदेशिका शुल्क अदा किये जाने पर उत्तरवादी क्रं.22,24,30,42 से 45 की उपस्थिति हेतु साधारण एवं पंजीकृत डाक से नोटिस जारी किया जावे। **आदेशिका शुल्क अदा नही किये जाने की दशा में विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।**	
	उत्तरवादीगण के अधिवक्ता ने आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व्य.प्र.सं./आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 व्य.प्र.सं. के जवाब हेतु समय दिये जाने का निवेदन किया गया, विचार बाद निवेदन स्वीकार कर समय दिया गया ।	M 11/7/25
	प्रकरण आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व्य.प्र.सं./आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 व्य.प्र.सं. के जवाब/उत्तरवादी क्रं.22,24,30,42 से 45 की उपस्थिति हेतु नियत ।	
	आगामी तिथि– 11.07.2025	
	(अभिषेक शर्मा) जिला न्यायाधीश घरघोड़ा, जिला रायगढ (छ.ग.)	

1. आवेदन पत्र प्राप्ति का दिनांक	05-07-2025
2. आवेदन को उपस्थित हेतु दी गई दिनांक	14-07-2025
3. प्रार्थना के उपस्थित होने की दिनांक	8 JUL 2025
4. आवेदन-पत्र (और भी तथा सही विवरणों सहित या रहित) अभिलेखागार को भेजने की दिनांक	05-07-2025
5. आवेदन-पत्र के अभिलेखागार से (अभिलेख के साथ या और भी या सही विवरणों के लिये, और अभिलेख के) प्राप्त होने की दिनांक	08-07-2025
6. आवेदक को और भी या सही विवरण देने की सूचना देने की दिनांक	—
7. आवेदक को और धन जमा कराने की सूचना देने की दिनांक	8 JUL 2025
8. स्तम्भ(6) या (7) की सूचना के पालन की दिनांक	8 JUL 2025
9. प्रतिलिपि तैयारी की दिनांक	8 JUL 2025
10. प्रतिलिपि देने या भेजने की दिनांक	8 JUL 2025
11. वसूल की गयी न्याय शुल्क	10=00

मिलानकर्ता

प्रतिलिपिकार

सत्य प्रतिलिपि

8/7/25